11.9.19	पत्रावली पेश हुई। आवाज दिलाई गई। प्रार्थी अलालतन/वकालतन अनुपस्थित। पेश है। सरफराज उपखण्ड अधिकारी, जयपुर (प्रथम) के फैसले के विरुद्ध 2019/3652 दि 06.8.19 के संलग्न अपील पत्र। शामिल मिसल है। बार-बार आवाजें दिलाई जाने पर भी प्रार्थी अलालतन/वकालतन अनुपस्थित। अन्तिम बार समय 5:25 पर आवाज दिलाई गई। इस पर भी प्रार्थी अलालतन/वकालतन अनुपस्थित। अतः आदेश 41(4) अदम पैरवी/अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।	उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम पत्रांक 3652 दिनांक 6.8.19 के अपील निर्णय दिनांक 14-2-77 के संबंध में उपखण्ड अधिकारी जयपुर

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

लगातार.....